न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/[redacted] 85

1. निजामुदीन आयु 44 साल पुत्र स्व. मदन जाति लीलगर मुस्लिम निवासी ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

—अपीलान्ट

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनूं।

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री सब्बीर हुसैन खॉ, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 23.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी धासीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 23.5.2002 का टाईपसुदा इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम परसरामपुरा की तन में भूमि खसरा नम्बर 2768 रकबा 2.47 हैक्टेयर स्थित है जिसमें 1/5 हिस्सा हरजीराम का है तथा 2/5 हिस्सा प्रार्थी व प्रार्थी की मॉ दड़कली तथा महोरी बेवा सुरजा, कालु, पन्ना, सांवला पुत्रगण सुरजा का है तथा 1/15 हिस्सा मनकोरी, पीथा, ओमप्रकाश, नन्दराम व कृष्णा का है तथा 1/15 हिस्सा लिक्षमण, मांगु व महाबीर का है। इसी अनुसार कब्जा काश्त है। निजामु पुत्र मदन जाति लीलगर निवासी परसरामपुरा का उपरोक्त जमीन से कोई लेना देना व सम्बन्ध नहीं है परन्तु वह विधि विरूद्व तरीके से प्रार्थी की गरीबी का नाजायज फायदा उठाकर लाठी के जोर पर जबरन प्रार्थी की खातेदारी की जमीन में जबरन पुख्ता निर्माण करने को आमादा है तथा दिनांक 21.05.2002 को निजामुदीन ने जबरन पत्थर डालकर 15–20 लोगो को लाकर धमकी दी कि में जबरन निर्माण कार्य करूंगा और लाठी के जोर पर आपकी खातेदारी की जमीन में निर्माण कार्य करूंगा। उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी तलब की गई एवं रिपोर्ट पटवारी अनुसार मकानों की स्थिति को देखते हुए व आस–पडोस से पूछ तांछ करने पर जाहिर है कि मकान गत 10–15 सालों से बनकर आबाद है जिससे जाहिर है कि अपीलान्ट खातेदार की सहमति के बिना मकान बनाकर आबाद नहीं हुआ है उसके उपरान्त भी अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दियें आदेश दिनांक 04.01.2003 को पारीत किया जाकर निर्णय के अनुसार अप्रार्थी/अपीलान्ट को 15 दिन में विवादित भूमि से कब्जा हटाने का आदेश दिया गया एवं 15 दिन में कब्जा न हटाने की स्थिति में निर्णयानुसार उसके विरूद्व पुलिस थाना नवलगढ में प्राथमिकी दर्ज करवाई जाने के विधि विरूद्ध आदेश पारित किये गये है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तत्पश्चात् अपीलान्ट के खिलाफ थाना नवलगढ में दिनांक 06.09.2004 को दिनेश भार्गव तहसीलदार नवलगढ ने

P.T.O.

एक रिपोर्ट संख्या 359/2004 अ.धा. 183(सी) आर.टी.एक्ट में दर्ज करवाई थी जिस पर अपीलान्ट के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई जिसमें माननीय सेशन न्यायाधीश झुन्झुनूं ने दिनांक 27.07.2017 को अपीलान्ट को बरी फरमा दिया और अपने निर्णय में माना कि रिपोर्ट में जो परिवादीगण बताये गये है वे रिपोर्ट दर्ज होने से 10 साल पूर्व ही फौत हो चुके है। रिपोर्ट सरासर झूठी व काल्पनिक पेश की गई है। उक्त निर्णय फाईनल हैं। तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 04.01.2003 की अपील जिला कलक्टर झुन्झुनूं के समक्ष पेश की गई किन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही दिनांक 25.01.2021 को अपीलार्थी की अपील को खारिज फरमा दी गई जो निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनांकित 25.01.2021 खारिज होने योग्य है क्योंकि उपरोक्त भूमि के खातेदार श्रीमती दड़कली व उसके पुत्र धासीराम का स्वर्गवास काफी सालो पूर्व ही हो चुका था इसलिये उनके द्वारा उक्त भूमि बाबत रिपोर्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उपरोक्त भूमि को खातेदारान द्वारा काफी व्यक्तियों को जरिये लिखावट के विक्रय कर कब्जा क्रेतागण का करवा दिया गया था जो मौके पर पुख्ता मकानात बनाकर मय परिवार आबाद है जिनके नाम से पानी बिजली के कनेक्शन, वोटर आई डी कार्ड राशन कार्ड आधार कार्ड वगैरह सब इस भूमि में निवास करने बाबत बने हुए है एवं मौजूदा समय में उपरोक्त भूमि में सैकडों परिवार पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि पर कब्जे बाबत किसी दडकली या उसके पुत्र धासीराम द्वारा कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई गई थी न ही किसी दडकली या धासीराम का कोई कब्जा काश्त था बल्कि उक्त भूमि में घनी आबादी में है जो कि रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार नवलगढ द्वारा किये गये मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है इसलिये उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर की गई तमाम कार्यवाही गैर कानूनी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिले निरस्त है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमें में अपीलान्ट निजामुदीन की अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नवलगढ में कोई तामील भी नहीं हुई थी बल्कि गलत रूप से रिपोर्ट करके पेश की गई है एवं अपीलान्ट के विरूद्व सम्पूर्ण कार्यवाही में इकतरफा कार्यवाही का आदेश फरमाया है। उसके बावजूद उक्त निर्णय जैर बहस तहसीलदार नवलगढ ने पारित फरमा दिया। उसके विरूद्व अपील जिला कलक्टर में पेश की गई उस पर भी कोई गौर नहीं फरमाया गया व अपील खारिज फरमा दी गई। इस कारण योग्य अदालत मातहत का निर्णय दिनांकित 25.01.2021 निरस्त होने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त मुकदमें में राजनीतिक आधार पर कुछ जाति विशेष के व्यक्तियों द्वारा मृतक धासीराम खातेदार के नाम से झूठा प्रार्थना पत्र पेश करवाया गया तथा अन्य व्यक्ति को बतौर धासीराम के

पेश कर बयान दर्ज करवा दिये गये जबकि सरपंच ग्राम पंचायत परसरामपुरा के प्रमाण पत्र के आधार पर खातेदार दड़कली व उसके पुत्र धासीराम का स्वर्गवास काफी सालों पूर्व हो चुका था। ऐसी स्थिति में उक्त मृतक खातेदार की ओर से तमाम कार्यवाही फर्जी तौर पर कुछ जाति विशेष के लोगों द्वारा राजनीतिक द्वेषता के कारण करवाई गई है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर गलत आदेश पारित किया है जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा भी गौर नही किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 को निरस्त फरमाया जावें तथा उक्त भूमि आबादी में दर्ज है पुरा गांव इस भूमि में आबाद है इसलियें न्यायहित में अपीलार्थी के विरूद्व पारित गैर कानूनी आदेश को निरस्त कर पत्रावली पुनः विधि सम्मत कार्यवाही किये जाने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत होगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि है तथा कानूनन अनुसूचित जाति के व्यक्ति की आराजी किसी भी स्वर्ण जाति के व्यक्ति के नाम हस्तान्तरण नही किया जा सकता तथा अधिवक्ता स्वयं ने दौराने बहस स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के पास वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई क्लीयर टाईटल नही है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि पर सिर्फ अतिक्रमि की हैसियत से काबिज है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 को यथावत रखी जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/12/22

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।